

निकाय चुनावों में वामपंथियों की हार

पश्चिम बंगाल निकाय चुनावों में वामपंथियों की पराजय से ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने वाममोर्चा सरकार से इस्तीफा की मांग कर डाली है। देखा जाये तो वाममोर्चा सरकार की लोकप्रियता लगातार घटती चली जा रही है। वहीं, ममता बनर्जी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार ऊंचा उठता जा रहा है। ममता बनर्जी की छवि अभी तक काफी साफ-सुथरी है। दूसरी तरफ, लगातार तीन दशक तक वाममोर्चा के शासन से जनता पूरी तरह उब चुकी है। जनता परिवर्तन चाहती है, भले ही वह परिवर्तन कैसा भी हो। जनता की मानसिकता को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में वाममोर्चा को कहीं पराजय का सामना न करना पड़े।

इस बात को सभी समझ रहे हैं कि ममता ने राज्य में अपनी छवि अच्छी बना रखी है। वह अभी तक बेदाग है। वहीं, वाममोर्चा के नेताओं की छवि हाल के वर्षों में काफी खराब हुई है। स्थानीय स्तर से लेकर राज्य एवं केंद्रीय स्तर तक वामपंथी नेताओं की छवि अच्छी नहीं रह गई है। सिंगूर और नंदीग्राम के मामले में वामपंथी मोर्चा सरकार ने अपना जो रुख दिखाया, उससे उसकी लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। दूसरी तरफ, यह माना जा रहा है कि सिंगूर से टाटा को भगाने में ममता बनर्जी की मुख्य भूमिका रही है। ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम में जो संघर्ष चलाया, वह उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। वामपंथियों की दशा पहले से बहुत ही खराब हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के लालगढ़ क्षेत्र में नक्सली भी

काफी प्रभावशाली हो चुके हैं। वाममोर्चा सरकार उन पर नियंत्रण कर पाने में बुरी तरह असफल रही है। ये नक्सली सिंगूर और नंदीग्राम में भी सक्रिय थे। पर संघर्ष का झंडा ममता बनर्जी ने थाम रखा था। इसलिए जब सरकार को नंदीग्राम और सिंगूर से अपने कदम पीछे खींचने पड़े तो इसके लिए ममता बनर्जी द्वारा चलाये गये संघर्ष को ही मुख्य कारक माना गया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में संघर्ष का दूसरा नाम बन गईं। ममता बनर्जी की बढ़ती लोकप्रियता और ताकत को देखते हुए इन्हें केंद्र सरकार में रेल मंत्री जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया। अब केंद्र में भी वह काफी ताकतवर मानी जाती हैं।

इसे देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव में वाममोर्चा की पराजय हो सकती है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की गद्दी हासिल कर सकती हैं। ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल की गद्दी पर बैठना पुराना स्वप्न रहा है।

अब ऐसा लगता है कि यह सपना सच में बदल सकता है। पश्चिम बंगाल विधान सभा चुनाव में ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन बना कर उतरेंगी। इसका संकेत इन्होंने दे दिया है। कांग्रेस नेतृत्व ने भी यह सोच रखा है कि ममता के साथ जाने में उसका फायदा है। इसलिए कांग्रेस के उच्च नेतृत्व ने हर हाल में ममता से गठबंधन बनाने का फैसला किया है। इसके लिए कांग्रेस के संकटमोचक प्रणव मुखर्जी को विशेष तौर पर लगाया गया है। दूसरी तरफ, ममता ने भी साफ कह दिया है कि संप्रग सरकार को हर हाल में तृणमूल कांग्रेस का समर्थन मिलता रहेगा। जहां तक

वामपंथियों का सवाल है, चुनाव परिणाम सामने आने पर वे अफरातफरी में पड़े हैं। उन्हें भी यह समझ में आ रहा है कि अगली बार विधान सभा चुनाव में उन्हें पहले की भांति सफलता नहीं मिलने वाली है। माकपा के नेतृत्व वाली वाममोर्चा सरकार राज्य में ही नहीं, पूरे देश में बदनाम हो चुकी है।

सिंगूर और नंदीग्राम में इन्होंने जो दमनचक्र चलाया था, उसे लेकर देश भर के बुद्धिजीवियों ने जिनमें वामपंथी विचारक भी शामिल थे, पश्चिम बंगाल सरकार की जम कर आलोचना की थी। वहीं, आगे चल कर मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने घोषणा कर दी थी कि उनका मार्क्सवाद से कोई लेना-देना नहीं है। मार्क्सवाद सिर्फ किताबी चीज है, व्यवहार से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बावजूद इसके टाटा को अपना नौ नौ कार प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल से ले जाना पड़ा। इससे वाममोर्चा सरकार की काफी किरकिरी हुई।

उपरोक्त बातों को देखते हुए इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि अगले विधान सभा चुनाव में वाममोर्चा की जीत नहीं होने वाली है।

हां, ममता की जीत तय है। अब सवाल यह उठता है कि ममता यदि पश्चिम बंगाल की सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेती है तो क्या वह जनता की समस्याओं का समाधान कर पायेगी?

ममता की विचारधारा और कांग्रेस के साथ उसके गठबंधन को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वह जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान कर पाने में सक्षम हो सकती है। हां, जनता यदि ममता को पश्चिम बंगाल का ताज देती है तो तीन

दशक से चला आ रहा वामपंथियों का सत्ता पर एकाधिकार समाप्त हो जायेगा। पश्चिम बंगाल जो अब तक वामपंथियों का गढ़ बना रहा है, वह ध्वस्त हो जायेगा

और इससे उनकी ताकत काफी कम हो जायेगी। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के गठन में उनकी सौदेबाजी भी नहीं चल पायेगी।

- मनोज

भोपाल गैस कांड

एंडरसन को सजा क्यों नहीं?

लगभग तीन दशक के बाद भोपाल गैस कांड पर, जिसमें 15000 लोगों की तत्काल मौत हो गई थी, अदालत का फैसला आया। इसमें अभियुक्तों को दो वर्ष की मामूली सजा दी गई। इस सजा को सभी ने अपर्याप्त और न्याय व्यवस्था का मजाक बताया। स्वयं कानून मंत्री वीरप्पा मोइली ने फैसले से असंतुष्टि जाहिर की। विरोधी दलों ने न्यायालय के इस फैसले की व्यापक आलोचना की और इसके विरुद्ध सीबीआई से आगे अपील करने की मांग की। इसी बीच भोपाल गैस कांड से जुड़े सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक बी.आर.लाल ने कहा कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने जांच को प्रभावित किया था। उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने उन्हें वारेन एंडरसन के प्रत्यर्पण के मामले में आगे नहीं बढ़ने के लिए मजबूर किया था। इसी तरह भोपाल के तत्कालीन डीएम मोती सिंह ने भी कहा है कि अर्जुन सिंह सरकार ने उन्हें एंडरसन को वापस भेजने के लिए कहा था।

वारेन एंडरसन इस कांड का मुख्य अभियुक्त था। सभी जानते हैं कि किस प्रकार तत्कालीन सरकार ने उसे सुरक्षित भारत से भागने में मदद की थी। अभी भी वारेन एंडरसन अमेरिका में आराम से बैठा हुआ है। सीबीआई की लाख कोशिशों के बावजूद उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सका। इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना के लिए जिम्मेवार शख्स को कोई सजा नहीं मिल सकी। अब उसे सजा मिलने की कोई संभावना भी नजर नहीं आती।

भोपाल गैस कांड के कारण जहां हजारों लोग तत्काल मौत के मुंह में चले गये, वहीं लाखों लोग स्थाई रूप से विकलांग हो गये। यही नहीं, इसका प्रभाव आने वाली नस्लों पर भी पड़ रहा है। गैस की चपेट में आये लोगों के बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। पर सरकार उनके प्रति असंवेदनशील बनी हुई है। भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को मुआवजा आदि देने में भी सरकारी रवैया ढीला-ढाला रहा है। बहुत से जरूरतमंद लोगों को जहां कोई मुआवजा नहीं मिला, वहीं गैसकांड से पीड़ित होने के झूठे दावेदारों ने मुआवजा हासिल कर लिया। यानी जम कर मुआवजा राशि की बंदरबांट हुई। यह बंदरबांट अभी भी चल रही है।

यह एक आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के मामले में फैसला लेने में न्यायपालिका को 25 वर्ष से भी ज्यादा वक्त लग गया। इससे यह समझा जा सकता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था कितनी खोखली एवं नाकारा हो चुकी है। इस मामले में एंडरसन की मदद करने वाले सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आर.एस.पाठक को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, हेग में न्यायाधीश बना कर भेज दिया गया।

भोपाल गैस कांड पर आया फैसला सच से काफी दूर है। यही कारण है कि इस फैसले के खिलाफ गैस पीड़ितों ने भोपाल में प्रदर्शन तक किया। सिर्फ भोपाल में ही नहीं, पूरे देश में इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन इससे भारतीय शासक वर्ग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगने वाली। वे तो अपने आका अमेरिका के निर्देशों पर चलेंगे। यद्यपि कानून मंत्री वीरप्पा मोइली का कहना है कि एंडरसन के विरुद्ध मामला बंद नहीं हुआ है, बल्कि अभी तक चल रहा है। पर मामला तो तब चलेगा जब उसका प्रत्यर्पण होगा। एंडरसन के हितों की रखवाली करने वाली अमेरिका सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसका प्रत्यर्पण हो। अमेरिका समर्थक भारतीय शासक वर्ग भी ऐसा नहीं चाहेगा। अगर भारत सरकार की यह मंशा होती कि एंडरसन को सजा दी जाये तो वह उसे भारत से भागने ही नहीं देती। पर दुर्घटना के तत्काल बाद वह भारतीय शासकों के सहयोग से भाग खड़ा हुआ। अतः अब उसे सजा दिये जाने की बात करना महज एक छलावा है और जनता की आंखों में धूल झांकने की कोशिश है।

- मनोज

कट्टरपंथ को चुनौती देना बेहद जरूरी

कुछ रोज पहले देवबंद की दारुल-उलूम ने एक फतवा दिया था कि मुस्लिम महिलाओं का पुरुषों के साथ काम करना गैर इस्लामिक है। इस फतवे में कहा गया था पुरुषों और स्त्रियों का एक साथ काम करना और महिलाओं का पुरुषों से बौर पर्दे के बात करना इस्लाम के विरुद्ध है।

यह फतवा कहता है कि पुरुषों और स्त्रियों को एक साथ काम नहीं करने देना चाहिए तथा महिलाओं को काम के समय बुर्का पहनना चाहिए। फतवे के समर्थकों ने कहा कि जो मलियें जीवन में आज सफल हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इस बाम का जवाब देना होगा कि उन्होंने क्यों धर्म विरुद्ध काम किया।

इस तरह से यह फतवा महिलाओं के सामाजिक जीवन और उनके आत्मनिर्भर बनने के प्रयासों के खिलाफ मध्ययुगीन कूपमंडूक ढंग के प्रतिबंध लगाता है। शरीयत और इस्लाम धर्म के नाम पर यह फतवा महिलाओं की आजादी, बराबरी और उन्हें एक जिंदा इंसान समझे जाने की भावना के खिलाफ जाता है। देवबंद को इस फतवे को तुरंत वापस ले लेना चाहिए और ऐसा मूर्खतापूर्ण फतवा देने के लिए अपनी गलती माननी चाहिए और देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए।

इस फतवे के हिसाब से तो मुस्लिम महिलाओं को स्कूल, दफ्तर, फैक्ट्री, अस्पताल, दुकानों यानी हर काम-काज

की जगह से हट जाना चाहिए। उन्हें ऐसे स्थानों पर काम करना ही नहीं चाहिए जहां उनके सहकर्मी पुरुष हों और या उनका अपने काम के सिलसिले में पुरुषों से वास्ता पड़ता हो।

यदि वे इसके बाद भी काम करती हों तो उन्हें पर्दे में रहना चाहिए। यह फतवा न केवल स्त्री विरोधी है, बल्कि आधुनिक समाज व इंसानियत के भी खिलाफ है। आज के समाज में यह संभव ही नहीं है कि स्त्री-पुरुष काम-काज के दौरान एक-दूसरे का हाथ न बंटायें। एक-दूसरे से बातचीत न करें। यह फतवा महिलाओं के फिल्मों आदि में काम करने और मॉडलिंग के भी खिलाफ है। यह फतवा मुस्लिम महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपने कूपमंडूक कट्टरपंथी ख्यालों के जरिये अपहरण करना चाहता है। यह लोक-परलोक का भय दिखा कर मलियाओं को घरों में कैद करने की साजिश रचता है।

धार्मिक कट्टरपंथ की हर अभिव्यक्ति के खिलाफ वैसे तो लड़ने की जरूरत है, परंतु यह फतवा तो महिलाओं की इज्जत, आत्मसम्मान को नीचे गिराने वाला है। यह फतवा महिलाओं के आत्मनिर्भर होने के अधिकार को छीन कर उन्हें पुरुषों की जूती बना कर रखने वाला है।

हद तो यह है कि यह फतवा उस समय आया है जब देश-दुनिया में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के सौवें वर्ष को मनाया जा रहा है और महिला मुक्ति के संघर्षों को

तेज करने के संकल्प लिये जा रहे हैं। हर धर्म की तरह इस्लाम में भी ढेरों महिला विरोधी बातें हैं। हर धर्म की तरह इस्लाम भी महिलाओं को घर की चारदीवारी में कैद रखना चाहता है। जब धर्म के ठेकेदारों को अंगूठा दिखाते हुए महिलायें अपनी मेहनत और हिम्मत से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, कंधे से कंधा मिला कर आगे बढ़ती हैं तो इन ठेकेदारों को अपनी कुर्सी हिलते हुए दिखाई पड़ती है और एक से एक बढ़कर एक मध्ययुगीन फैसलों व फतवों को देते हुए ये समाज को गहरे अंधकार में धकेलने की कोशिश करते हैं। इस मामले में सभी धार्मिक कट्टरपंथी एक जैसे होते हैं। सभी कट्टरपंथियों को चाहे वह हिंदू हों, मुस्लिम, सिख या ईसाई हों, गहरी चुनौती व शिकस्त देने की जरूरत है। ऐसे फतवे सभी मेहनतकशों और इंसाफपसंद लोगों के खिलाफ हैं और उनके जीवन में जब पहले से ही ढेरों मुसीबतें होती हैं, तब यह नई मुसीबतों को जन्म देते हैं।

शासक वर्गों का ऐसे फतवों के प्रति चुप रहना यह दिखाता है कि कट्टरपंथियों को वे नाराज करना नहीं चाहते और उनके शोषण-दमन को बनाये रखने में बड़ी मदद करते हैं। और ऐसा वे न केवल हिंदू-सिख कट्टरपंथियों के साथ करते हैं, बल्कि ऐसा ही वह मुस्लिम कट्टरपंथियों के साथ करते हैं। राजीव गांधी के समय शाहबानो प्रकरण इसका प्रत्यक्ष उदाहरण रहा है।